न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

बइजलास— जगदीश प्रसाद गौड़, आर०ए०एस०

राजस्व अपील संख्या 28/2023 जीसीएमएस संख्या— 2023/117

अपीलान्ट	रेस्पोडेन्ट्स
1. हुकमाराम पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी ग्राम नानणा तहसील नावां जिला डीडवाना—कुचामन।	1. नानूराम पुत्र देवाराम 2. चिमनाराम पुत्र बोदूराम 3. मूलाराम पुत्र बोदूराम 4. दलाराम पुत्र मांगूराम 5. कानाराम पुत्र मांगूराम समस्त जाति जाट निवासियान ग्राम नानणा तहसील नावां। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांवा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * कुचामन सिटी *

उपस्थित अधिवक्ताः—
1. श्री अशोक पुरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शत्रुघ्न गौड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।
3. राज पैरोकार नायब तहसीलदार नावां राज. सरकार की ओर से।

अपील विरूद्ध बंटवारा आदेश 23.11.2015 ग्राम नानणा द्वारा तहसीलदार नावां
अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :—09.07.2024

1. यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत, निर्णय/आदेश दिनांक 23.11.2015 द्वारा तहसीलदार नावां ग्राम नानणा के विरूद्ध पेश की है।
2. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम नानणा तहसील नावां के पटवार हल्का जावदी नगर के अन्तर्गत अवस्थित खेत खसरा नम्बर 56, 57, 58 व 61 का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का है, तथा खसरा नम्बर 59, 60, 71, 72, 73 सभी खसरा नम्बर में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट का है। उपरोक्त ग्राम नानणा की सरहद में है, जिसमें से प्रथम चार खसरे कृषि भूमि है। अपी[illegible]त्रिक भूमि है तथा अन्य कृषि भूमि जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 [illegible] सहमति [illegible] से ली गयी, जिसका खसरा नम्बर 227, 228, 235, 270/236 से कोई लेना [illegible] नहीं है अतः नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः नये सिरे से विभाजन करने की [illegible] फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

3. अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

(1)– यह है कि रेस्पोडेन्ट सं० 1 नानूराम अधिनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथों से न्याय प्राप्त करने नहीं आया, बल्कि अपीलान्ट का रास्ता बन्द करवाने व उनके खेत में से भूमि प्राप्त करने के लिए गया था, जो निर्णय / आदेश निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावें। हस्ताक्षर तहसीलदार के सामने नहीं हुए है, घर पर करवा कर लाया था। अभी रास्ता खुला हुआ तथा 1/2 की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलान्ट पक्ष का कब्जा काश्त है।

(2)– यह है कि अपीलान्ट पक्ष ने हस्ताक्षर केंवल चिमनाराम व मूलाराम के नाम खातेदारी नाम करवाने हेतु हस्ताक्षर किये थे, क्योंकि इससे पूर्व इनके नाम खेत की खतौनी में इनका नाम नहीं था, तब पड़ौसी होने के नाते हस्ताक्षर कर दिये, लेकिन अपीलान्ट अपना ही रास्ता बन्द करवाने के हस्ताक्षर नहीं कर सकते है। हस्ताक्षर धोखे में रखकर करवाये गये होने से उक्त अधिनस्थ निर्णय / आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, निरस्त किया जावें।

(3)– यह है कि उक्त अपीलान्ट का रास्ता रेस्पोडेन्ट के खेत के दक्षिण से पूर्वी तरफ चलकर वापस उत्तर दिशा में अपीलान्ट के खेत को सींव के अन्दर तक तथा मोड़ के बाद पूर्वी तरफ निकलने वाला रास्ता अपीलान्ट का आवागमन का एक मात्र रास्ता है, अभी रेस्पोडेन्ट ने पत्थरगढ़ी के आदेश दिंनाक 02.09.2020 को प्राप्त होने पर मौके पर पटवारी के आने पर अपीलान्ट को इस बात की जानकारी, ज्ञान हुआ, तब अपीलान्ट ने नकले प्राप्त कर यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश को निरस्त करवाने हेतु पेश की जा रही है।

(4)– यह है कि उक्त अपील अपीलान्ट में मुख्य खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं का नुकसान करने की सोच नहीं रखता है, रास्ता की मोड़ के पास प्रथम बंट अपीलान्ट का है तथा अपीलान्ट व उसके दोनों भाईयों का भी रास्ता केवल मात्र यही होने से तथा इनका हित भी एक ही होने से किसी का भी रास्ता बन्द नहीं किया जाना चाहिए तथा यही कानून की भी मंशा रहती है। रास्ता किसी का भी बन्द नहीं हो, किसी के रास्ता नहीं होने की स्थिति में उसको रास्ता की सुविधा देने की कानून की मंशा रहती है। यहाँ केवल रास्ता की ही बात नहीं है, बात ये है कि रेस्पोडेन्टस ने धोखेमें अपीलान्ट पक्ष के रखकर अपने खेत को रेस्पोडेन्ट ने लम्बा / बढ़ाकर अपीलान्ट पक्ष के खेत में घुसने से इनका रास्ता (अपीलान्ट पक्ष) का बन्द हो रहा है। जो होना नहीं चाहिये। इसलिए अधीनस्त न्यायालय ने गलत निर्णय / आदेश किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावें।

(5)– यह है कि अपीलान्ट को पत्थर गढ़ी का आदेश रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार, नांवा के आदेश लेकर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाने पर पता चला, तब अपीलान्ट के निर्णय की प्रति निकल[illegible] अपील प्रस्तुत अब की जा रही है तथा गलत निर्णय / आदेश की कभी मया[illegible] नहीं होती, अपीलान्ट पक्ष को रेस्पोडेन्ट के नाम 10 वर्षों तक नहीं [illegible] सहमति दी, न कि अपने खेत को कम करवाने व अपना ही रास्ता बन्द करवाने की सहमति, इसलिए धोखे से किये गये कार्य पर मयाद [illegible] अब अन्दर मयाद प्रस्तुत है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ कुचामन सिटी ★

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested

4. उक्त नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 07.10.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 16.10.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।

5. प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील के मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन है कि तहसीलदार नावां द्वारा ग्राम नानणा के बंटवारा आदेश दिनांक 23.11.2015 स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट/अप्रार्थी ने दिनांक 07.10.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अपील देरी से प्रस्तुत करने को लेकर मियाद हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर विचार किया जाकर चूंकि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से कानूनी जानकारी नही होती है अतः न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील की मेरिट पर सुनवाई की जानी उचित है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

6. बहस अधिवक्ता अपीलांट/रेस्पोडेन्ट की सुनी गई। राज पैरोकार नायब तहसीलदार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। हस्तगत अपील में उक्त प्रकरण बंटवारा आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मूलाराम व चिमना पुत्र बोदूराम, नानूराम पिता देवाराम, दल्लाराम हुकमाराम कानाराम पिता मांगूराम कौम जाट ने आपसी सहमति से प्रस्तुत किया। उक्त बंटवारा आदेश पर ग्राम नानणा के बंटवारा संबंधित समस्त खसरान के सहखातेदार के रूप में सहमति से राजस्व भूमि रिकार्ड में अंकन हेतु विभाजन का आंकिक अंकन अनुसार दर्ज किया हुआ है। जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर क्रमांक/एलआर/2015/3024 दिनाकं 23.11.2015 के द्वारा स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु संबधित पटवारी को निर्देशित किया गया है। नजरी नक्सा एवं 100 रूपये स्टाम्प पर संबंधित पक्षकारान के हस्ताक्षर किये गये है।

हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट तौर पर यह है कि समस्त कार्यवाही उपरोक्त पक्षकारान की सहमति से सम्पन्न हुई है। सहमति से बंटवारा हुआ और उक्त बंटवारें के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया। बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन सही किये जाने से उक्त नामान्तरकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। त्रुटि रहित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होने के कारण एवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से काबिल खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

–:आदेश:–

उपर्युक्त विवेचनानुसार तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत बंटवारा आदेश संख्या 3024 दिनांक 23.11.2015 को यथावत रखा जाता है। अपील अपीलान्ट खरिज की जाती है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested